ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

आदिवासी विकास की अवधारणा, लक्ष्य और वर्तमान स्थिति

वी. के. श्रीवास्तव
समाजशास्त्री एवं भूतपूर्व निदेशक,
अनु.जाति,अनु.जनजाति आयोग, भारत सरकार

सारांश

यह लेख भारत में आदिवासी विकास की अवधारणा, उसके लक्ष्यों तथा वर्तमान स्थिति का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें आदिवासी शब्द की उत्पत्ति, उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं तथा विविध जनजातीय समुदायों की भिन्नताओं को स्पष्ट किया गया है। लेख में यह बताया गया है कि आदिवासी समुदाय ऐतिहासिक रूप से प्रकृति पर आधारित जीवन जीते आए हैं, किन्तु स्वतंत्रता पूर्व उन्हें शोषण और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में उन्हें विशेष संरक्षण एवं विकास हेतु प्रावधान किए गए। पंचवर्षीय योजनाओं, विशेषकर आदिवासी उप-योजना (TSP), के माध्यम से उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के प्रयास किए गए। लेख में आदिवासी विकास के प्रमुख लक्ष्यों जैसे सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा सहभागिता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आदिवासी समाज को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करते हुए यह दर्शाया गया है कि कुछ समुदाय मुख्यधारा में सम्मिलित हो चुके हैं, जबकि अनेक अब भी विकास से वंचित हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में रहकर पारंपरिक जीवन जी रहे हैं। गरीबी, विस्थापन, शिक्षा की कमी और सांस्कृतिक पहचान का संकट आज भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

अंततः लेख यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि आदिवासी विकास के लिए एक संतुलित एवं समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक-सामाजिक उन्नति और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करे।

बीज शब्द (Keywords): आदिवासी विकास, जनजाति, सांस्कृतिक संरक्षण, आदिवासी उप-योजना (TSP), सामाजिक-आर्थिक स्थिति, संवैधानिक प्रावधान, अनुसूचित जनजाति, विस्थापन, मुख्यधारा से समावेशन, जनजातीय पहचान

प्रस्तावना: इस संगोष्टी का विषय है आदिवासी विकास की अवधारणा, लक्ष्य और वर्तमान स्थिति है।मेरा यह मानान है कि इस विषय पर चर्चा करने के पूर्व यह समझना आवश्यक है कि जब हम आदिवासी के संदर्भ मे विचार-विर्मश करते हैं तो हमारे लिए सर्व प्रथम यह आवश्यक है कि आदिवासी से अभिप्राय या तात्पर्य क्या है, क्योंकि देश के 15 प्रतिशत क्षेत्र में रहने वाले लगभग 715 जनजातीय समुदाय(2011 की जनगणना अनुसार

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

इनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत है) के बसाहट, उनके जीवन दर्शन, संस्कृति और आर्थिक-सामाजिक-धार्मिक रीतरिवाज तथा जीवनयापन के तरीकों में बहुत अंतर एवं विभन्नता है। प्रत्येक आदिवासी समुदाय की अपनी प्राचीन अवधारणा एवं सांस्कृतिक विविष्टिता तथा बसाहट है। अतः इनके विकास की अवधारण, पहल,रणनीति तथा नीतियॉ भी तद्नुसार स्तंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रत पश्चात पिछले सात दशकों में बदलती रही हें। यह आलेख इसी पृष्टि भूमि के परिप्रेक्ष्य मे विषय को ध्यान मे रखते हुए संक्षेप मे प्रस्तुत है।

जनजाति शब्द एवं समाज की उत्पत्ति की पृष्टि भूमि:

ट्राईब शब्द, जिसे हम विभिन्न नाम या उपनामों से जानते व पुकारते हैं, जैसे जनजाति, आदिवासी, वनवासी, वन्यजाति, एवं अरण्यवासीआदि के बारे मे सर्वप्रथम बारहवी शताब्दी के बीच मध्य अंग्रेजी साहित्य मे ईजराइल के बारह ट्राईब्स के संदर्भ मे प्रयोग किया गया। मध्य अंग्रेजी शब्द फ्रेन्च शब्द `ट्रीब्यु` एवं` लैटिन` के शब्द ``ट्रिब्युस`,बहुबचन है) 1934) के `ट्राईबल एसंम्बली` मे पैतीस ट्राईब्स थे जिनमे से चार शहरी और इक्तीस ट्राईब्स ग्रामवासी थे। इतिहासकार एवं समाजशास्त्रीय स्टेफन कैरी के अनुसार `ट्राईब्स` एक सामाजिक समूह हैं, जो राज्यो के उत्पत्ति के पूर्व से ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, और अपने जीवनयापन के लिए प्रकृति की गोद मे बसते हुए स्वयं पर निर्भर रह कर अन्य सभ्यताओ से दूर पहाड़ों व दूरदराज़ के जंगलो मे रहते- आए हैं।साउथ एशिया के देशो मे इनका अपना अलगअलग विभिन्न समुदाय है, जो `ट्राईबलिज्म` के रूप मे अपना प्रभाव बनाए हुए है। भारत सरकार, भारत के आदिवासियों को यहॉ की इंडिजिनस – निवासी न मानकर आदिनिवासी- मानती है, जबकि यू इन्हे यहॉ की नओ`इंडिजिनस ट्राईब` मानता है।यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि `ट्राईब`, `रेस` ओर `क्लैन` शब्दों को एक दूसेरे का पर्यावाची मानते हुए प्रतीक के रूप मे भी प्रयोग किया जाता हैं।[2] जनजातियों की पहचान चिन्हित करने के समकालीन संदर्भ मे समाजिकवैज्ञानिक निहार रंजन रे आयुक्त, अनसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, (1972) के अनुसार आदी वासी, कृमिनल ट्राईब ओर अनुसूचित जाति, तीनो शब्दावली भ्रामक हैं। आगे उनके मतानुसार ट्राइब्स के संदर्भ मे निम्न पाच तथ्य विचारार्थ महत्वपूर्ण है:-

1- आदिवासी जना हैं, भारत के दूसरे सांस्कृतिक परिधि मे रहने वाले लोगों की तरह। दूसरी तरफ आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ मे ये दूसरी जातियों से भिन्न हैं। रे ने जाति को आर्थिक परिप्रेक्ष या नजरिये से देखा है। उनके अनुसार, प्रारम्भ से ही जाति व्यवस्था अर्थ उपार्जन के पेशे से जुड़ी हुई रही हैं, जो कालांतर मे सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई।
2- किसी भी सामाजिक व्यवस्था की मुख्यधारा से जुड़ना (इनकारपोरेट) या उसमे समाहित होना (ईन्टीग्रेट), दोनो अलग-अलग अवधारणा है। आदीवासी समुदाय स्वतंत्र भारत के मुख्यधारा से पिछले कई दशक से जुड़ गए हैं, व कृमशः निरंतर जुड़ने की प्रकिया मे हैं। इस तरह कालान्तर मे उनका भारतीय मुख्यधारा से जुड़ना और इस निरंतरता को बनाए रखना उनके तत्व और जीवन दृष्टि को एक नया नजरिया या दृष्टिकोण प्रदान कर, परिभाषित कर रहा है।इस तरह यह कहा जासकता है कि जब कोई मानवीय समुदाय किसी

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

आधुनिक समाज की मुख्यधारा से जुड़ता है या जुड़ने की प्रक्रिया मे निरंतर रहता है, तो शनेःशेनेः वह सम्पूर्ण रूप से उस समाज कें तत्व र्दशन एवं जीवन दृष्टि को अपनाने की प्रक्रिया की ओर बड़ता जाता है, ओर इस प्रक्रिया के तहत वे किस जाति व्यवस्था की श्रेणी मे रहेगे या अपने को कहॉ पायेगें, यह भी सुनिश्चित होता है।

3- मुख्य धारा से जुड़ने के बाद आदिवासी आधुनिक समाज के नए वातावरण मे किस तरह की मानसिक दबाव या तनाव मे है, और उनके मनोविज्ञान आदि को समझना आवश्यक है।

4- रोजगार की खोज व अन्य आर्थिक दबाव के कारण आदिवासी अपने मूल स्थान से विस्थापित हो रहे हैं। उन्हे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यह भी देखना होगा।

5- आदिवासियों को नई पहचान संविधान के तहत या अन्य कारकों के कारण बन रही है, इनको वे कहॉ तक या किस तरह अपना या अस्वीकार रहे हैं, अतएव आज भी अपनी नई पुरानी पहचान के बारे मे भ्रमित - हैं। इसी भ्रम मे आदिवासियों ने अन्य धर्मो को भी अपना लिया है, या अपनाने की प्रक्रिया मे हैं।इस प्रक्रिया कि निरंतरता के कारण आदिवासी समुदाय गैर आदिवासी समुदाय के समीप आते जारहे हैं। जनजातियों के संदर्भ मे इन उपरोत्त व्याख्याओं तथा विवेचनाओं की पृष्टिभूमि मे भारत की जनजतियों को उचित पहचान देने के लिए भारतीय संविधान मे अनुच्छेद 366 के तहत कहा गया है:ऐसी जनजाति या जनजातिय समुदायों या भागों के या समुहों के भीतर ऐसी जनजाति या जनजातीय समूदायों के रूप मे अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों, इस संविधान के प्रयोजनों के लिए किया जाय। इस तरह संविधान मे जनजातियों को अनुसूचित कर एक नई पहचान दी गई।

जनजाति समूहों की बसाहट: जनजातियों के बसाहट सम्बन्धी अध्ययन से यह विदित होता है कि जीवन के प्रारम्भ काल से ही ये छोटेछोटे टोलों या पारों मे एक ही नातेदारी-, गोत्र या बिरादरी के परिवारो के समूह मे रहते रहे हैं। ऐसे ही कई समुदाय अलग-अलग, एक साथ कई टोले या पारे मे रहते हें । एकपारे की दूरी दूसरे टोले से तीन से पांच किलोमीटर हो सकती है ।इसी तरीके से सभी जनजातियों की बसाहट पहाड़ों व दूरदराज जंगलों मे चिरकाल से रही है ।प्राचीन काल से ऱाज्य शासको ने प्रशासकी इकाई के रूप मे कई टोलोपारो को मिला कर गावों का निर्माण कर विकसित किया। आज यह देखने को मिलता है कि आदिवासियों के गांव तीन से पच्चिस किलोमीटर की परिधि मे बसे है, ऐसे गांवों की बसाहट कई आदिवासी क्षत्रों मे मिलेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के पहाड़ी एवं दूरदराज़ के जंगलो मे निवास करने वाले आदिवासियों की जनसख्या कम है तथा इनके बसाहट मे बिखराव अधिक है(लेखक के आनुभव के आधार पर) जनसंख्या की दृष्टि से देखे तो लगभग हर तेरहवां भारतीय आदिवासी है। भारत में जनजातियों की संख्या कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में है। ये हमारी सभ्यतासंस्कृ-ति में `मोजैक` की तरह एकीकृत हैं। भारतीय समाज में कई तत्वो का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में आदिवासियों की संख्या 8.61% है, जो लगभग १०४२८. मिलियन् है, और ये देश के क्षेत्रफल के लगभग 15% भाग पर स्थापित

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं कमजोर सहभागिता के संकेतकों से समझा जासकता है कि इनके और गैर आदिवासी जनसंख्या के आधारभूत मानकों मे काफी अंतर है। 2011 की आदिवासी जनगणना के अनुसार मध्य भारत मे वभिन्न जनजाति समुदायो की बसाहट सबसे अधिक 54.69 प्रतिशतहै , इसके बाद पश्चमी भारत 27.64 प्रतिशत कदक्षणी क्षेत्र मे इन प्रति 4.15 है। शेष 12.11 प्रतिशत जनजातियों की बसाहट उत्तरी-पूर्वी तथा उत्तरी-पश्चमी क्षेत्रो एवं द्वीप समूहो मे है।इस तथ्य से भी इनकार नही किया जासकता कि आदिवासी जनसंख्या की ५२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, साथ ही ५४ प्रतिशत आदिवासियों के पास यातायात एवं दूर संचार के रूप में आर्थिक संपत्तियाँ उपयोग के लिए नहीं हैं।

आदिवासी विकास की अवधारणा एवं प्रयास:

भारत में आदिवासी समुदायों का विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आदिवासी समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार और अन्य संगठनों ने उनके विकास के लिए कई कार्यक्रमों और नीतियों को लागू किया है।

स्वतंत्रता पूर्व इन आदिवासी समुदायों के कल्याण तधा विकास के लिए उस समय के शासकों ने ऐसा कुछ नही किया जिससे उनका कल्याण या विकास हो,बल्कि हर तरह से उनका शोषण हुआ। जंगल जहॉ चिरकाल से उनकी बसाहट थी, जमीन जहॉ रह, अनाज उपजा कर जीवन-बसर करते थे उनसे वे शनैःशनै विहीन होते चले गये।

स्वतंत्रता पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान मे इन आदिवासियों के सुरक्षा एवं उन्हे शोषण मुक्त कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुच्छेद 342 के तहत उन्हे अनुसूचित कर, एवं अन्य अनुच्छेदों के प्रावधनों के तहत उनके विकास एवं उसके लिये वित्तीय राशि उपसब्ध कराने की व्यवस्था की है।इतना ही नही पांचवीं अनुसूची का प्रावधान कर जिन क्षेत्रों मे आदिवासियों की बसाहट सघन है उन्हे अनुसूचित क्षेत्र, एवं छटवी अनुसूची के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों मे जहॉ आदिवासियों बाहुलता है(मनीपुर,मिजोंरम,त्रिपूरा एवं आसाम के कुछ क्षेत्र) उन्हे आदिवासी क्षेत्र घोशित कर वहॉ रहने वाले आदिवासियों के संरक्षण एवं विकास का यथोचित प्रावधान कर व्यवस्था की गई है।

संविधानिक प्रावधानो के तहत आदिवासियों के संरझण के लिए शासन ने कई नीयमों एवं कनूनों को बना कर उनका क्रियान्वन किया है और उनके कल्याण एवं विकास की योजाएं क्रिन्यानवित की जा रही है। संक्षेप मे प्रथम पंचर्वशीय से बारहवी पंचर्वशीय योजना (2012-17) तथा वर्तमान तक आदिवासियों के विकास के सिये जो पहल एवं अवधारणा-रणनीति समय-समय पर अपनाई गई उनका विवरण नीचे दिये गए अनुसार है:

1- प्रधम पंचर्वशीय योजना से चौथी पंचर्वशीय योजना तक निम्न पहल की गई:

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

अ)- आदिवासी कल्याण की नीति अपनाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाये जैसे,आवास निर्माण,कृषि विकास,पशु एवं कुक्कुट पालन,लघु उदोग,सिचाई,शिक्षा ऐसी कई योजनाऐं क्रियान्वित की गई।

ब.)- आदिवासी विकास की अवधारणाः तीसरी से चौथी पंचर्वषीय योजना के बीच आदीवासा विकास खंड एवं बहुउदेशीय विकस खंडों की स्थापना कर विकास एवं संरझण से संम्बधित योजनाओं का क्रयान्यवन किया गया।

स.)- चौथी योजना के अंट के दौरान आदिवासी विकस एजेन्सी की परिकल्पना कर पायलट स्तर पर मध्य प्रदेश मे क्रियान्वित की गई,परिणाम अनकूल नही निकले।

2.- पाचवी पंचर्वशीय योजना के प्रारंभ होने पूर्व चौथी योजना तक आदिवासी विकास के लिये जो पहल और कार्य किये गये, और इस दरमियान राज्य शासन ने जिन समितियों व आयोग का गठन आदिविकास कार्यो में जो कमियॉ रही उनका मुल्यकन कर, सुझाव देने के लिये कहा, उन पर विचार करने के लिये शासन ने मानवशास्त्री स्वर्गीय एस. सी. दूबे जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने आदीवासीयों के संर्वांगीण विकस के लिए निम्नाकित सुझव दिये, और जिन्हे शासन ने मान कर पांचवी पंचवर्शीय योजना से आदीवासी विकास से बारहीं पंचवर्शीय तक क्रियान्वित कियाः

1.आदिवासी उप-योजना की रणनीतः
राज्य शासन की वार्षिक योजना की एक उप-योजना- आदिवासी उप-योजना होगी।वार्षक योजना की बजटीय व्यवस्था की तरह उप-योजना का आदिसासियो के लिए अलग से बजटीय व्यवस्था होगी।आदिवासीयों के विकास के लिये ऱाज्य मे आदिवासियो की जनसंख्या का जो प्रतिशत होगा, के बराबर की राशि राज्य के वार्षिक बजट की कुल राशि से अलग कर उप-योजना के लिये रखी जायेगी,जो सभी विभगों को उनके योजनाओं के अनुसार उप-योजना के बजट से उन्हे आवंटित की जयेगी (उप-योजना की मांग-संख्या आलग होगी,उन्ही मांग सख्या से विभागो योजनाओं लिए राशी आवंटित की जाएगा)।

आदिवासी उप-योजना का उदेश्यः

अ.- आदिवासियों एवं गैर-आदिवासियों के बीच विकास तथा संरक्षण के अंतर (गैप) को कम करना,
ब.- आदिवासियों के जीवन यापन स्तर को गुणात्मक दृष्टि से बेहतर करना,
स.- विभिन्न तरीके से वर्तमान में आदिवासियों के हो रहे शोषण को कम और खत्म करना और उन्हे सामाजिक-आर्थिक रूप से उन्नत कर उन्हे आंतरिक रूप से शसक्त करना तथा उनकी संगठात्मक शक्ति को बड़ा कर मजबूत करना।
द.- आदिवासी विकास की समस्या का दो तरह से निवारण करनाः(1) जिन क्षेत्रों मे आदिवासी समुदायों की बाहुल्लता है,और उन क्षेत्रों मे जो आदिवासी समुदाय आर्थिक-सामाजिक एवं साक्षरता कि दृष्टि से अत्यधिक

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

पिछड़े हुए हैं,उनको चिन्हाकित कर उनके संरक्षण और समुचित विकास के लिये अलग से वित्तीय प्रावधान कर योजनाऐ बनाई जाय।

य.- जिन आदिवासी समुदायों की बसाहट आदिवासी उप-योजना क्षेत्र से बाहर है (डिसपरस्ड ट्राईबल) उनके संरक्षण एवं बुनियादी और आर्थिक-सामाजिक विकास तथा परिवार- मूलक योजनाऐ अलग से क्रियान्वित की जांय।

र.- जिन क्षेत्रों मे आदिवासी समुदायों की जनसख्या दस हजार से अधिक हो,उन ग्रामों-टोलों को चिन्हाकित कर,उनका समूह (पाकेट) बना कर उनके संरक्षण एवं विकास का कार्य किया जाय।

व.- पुनःउन आदिवासी ग्राम-टोला को चिन्हाकित किया जाय, जिनमे रहने वाले आदिवासी समुदायों की जनसख्या पाच हजार या उससे उपर हो,उनके संरक्षण एवं विकास के लिये योजनाऐ क्रियान्वित की जाय।

आदिवासी विकास के लक्ष्य:

आदिवासी विकास के मुख्य लक्ष्य हैं:

1. आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना।
2. आदिवासी समुदायों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करना।
3. आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
4. आदिवासी समुदायों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना।

आदिवासी विकास की वर्तमान स्थिति:

आदिवासी विकास की वर्तमान स्थिति में कई चुनौतियां और अवसर हैं। सरकार और अन्य संगठनों ने आदिवासी समुदायों के विकास के लिए कई कार्यक्रमों और नीतियों को लागू किया है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

आदिवासी विकास की वर्तमान स्थिति में कुछ मुख्य चुनौतियां हैं:

1. आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
2. आदिवासी समुदायों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार।
3. आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
4. आदिवासी समुदायों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना।

आदिवासी विकास की वर्तमान स्थिति में कुछ मुख्य अवसर भी हैं:

1. आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रोत्साहन।

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

2. आदिवासी समुदायों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार के लिए नई पहलों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

3. आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए नई पहलों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

4. आदिवासी समुदायों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों और कार्यक्रमों

आदिवासियों की वर्तमान में प्रास्थिति:

वर्तमान में निरंतरता एवं परिर्वतन प्रक्रिया की स्थिति के संदर्भ मे जनजातीय समुदायों को आज के परिप्रेक्ष मे नम्नाकित समूहो मे विभाजित या बाटा जासकता है:29

1.- जिनका पूर्णरूपेण रूप से शहरीकरण हो चुका है। समसामयिक राजनीति- का लाभ उठाते हुए ईलीट वर्ग के रूप मे स्थापित होगए या हो रहे हैं, इस तरह शहरी समाज के लिए केवल आदिवासी पहचान के प्रतीक मात्र रह गए हैं। सभी संवैधानिक एवं शासकीय विकास की योजनाओ का पुरपूरा- लाभ उठा रहे हैं। उनकी चौथी पिढ़ी भी संविधान के तहत दीए गए आरक्षण का लाभ ले रही है। शनेःशनेः वे अपने मूल स्थान से भी कट रहे हैं,

2- संक्रमणतत्व)की प्रक्रिया मे हैं।उनके जीवन दर्शन (ट्रान्जिशैन) एवं (दृष्टि जीवन यापन व शैली के (जीवन दृष्टि) स्वरूप मे बदलाव आरहा है।आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधर रही है, विशेष रूप से जिन जनजातियों की बसाहट विकास खंड एवं कस्बों लथा शहरो के आसपास या करीब है, उन्हे शासकीय विकास की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।कौशल विकास योजना अंतरगत प्रशिक्षण, कृषक उन्नत बीज, खाद एवं बीज तथा लघु सिचाई का लाभ ले रहे हैं,

3. जिनकी बसाहट सड़क या विकास खंड से लगभग दस से पंद्रह की, मीकी . दूरी पर है, और मज़दूरी या थोड़ी बहुत खेती कर, गुज़रबसर कर रहे हैं- तथा सरकारी योज़नाओ की थोड़ीबह-ुत ज़ानकारी है। अपने मूल संस्कृति, रीतरिवाज़ एवं परम्पराओं का पालन कर रहे हैं।

4. ज़िनकी बसाहट सड़क एवं विकस खंड से पंद्रह किसे भी दूर बिया .मी.बान ज़गल पहाड़ों के बीच है, ऐसी जनजातियॉ खेती पर कम, दैनिक खेतिहर गज़दूरी, अन्य मज़दूरी, वनोपज संग्रहण, मछलीपालन एवं पशुपालन पर अधिक नर्भर हो, अपना जीवन यापन करती हैं।

5.- ऐसी जनजातियॉ, जिन्हें `प्रिमिटिव ट्राईब` की श्रेणी के आंर्तगत चिन्हाकित किया गया है, और इन जनजातियों की बसाहट दूरदराज़ के जंगलो एवं- सघन पहाड़ों के बीच है, और ये विकास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई हैं, वर्तमान मे भी पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर हैं। उनके लिये भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके आर्थिक-

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न योजनाए क्रियान्वित की जा रही हैं। परन्तु, आज भी वे काफी हद तक अपनी मूल संस्कृति, (जो इनके तत्व दृष्टि और जीवन दृष्टि का समावेष है(की परिचायक हैं।

निष्कर्ष:

1.वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने पूर्व के योजना आयोग के स्थान पर नीत आयोग का गठन किया है। आदिवासी उप-योजना के रणनीति के तहत बारहवी पंचर्वशीय योजना तक(2012-17) आदिवासी विकास की योजनाऐं क्रियान्वित की जारही थी। तत्पश्चात जनजाति मंत्रासय,केन्द्र सरकार, केन्द्र की जनजाति विकास योजनाऐ राज्यों मे क्रियान्वित कर रहा है तथा राज्य सरकारे आदिवासियों के संरक्षण एवं विकास की येजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं।

2.आदिवासी विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे ध्यानपूर्वक समझने और समाधान करने की आवश्यकता है। आदिवासी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें उनके विकास के लिए एक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत, उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार, और उनकी भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होना चाहिए।

संदर्भः

1. In 242-240 B.C. The Tribal Assembly in Roman Republic included 35 tribes (urban& rural).According to Livi the three tribes were Squadron of Cavalry, rather the ethnic division.
2. श्रीवास्तव, वी.के.(2007)दी पहाड़ी कोरवासामाजिक-, आर्थिक अवस्था एवं विकास(मोनोग्राफ), सोनाली पबलीके शन, न्यूदिल्ली।
3. 3. फोर्ड, सी)डेरील.1934), 1963, हेबिटाट, ईकानमी ऐन्ड सोसाईटी- जियोग्राफिक इट्रोडक्शन टू इथनोलाजी, लंदन।
4. भारत का संविधान.
5. मजुमदार, डी).एन.1967)-रेसेस ऐन्ड कल्चर आफ इंडिया, एशिया पबलिशिगं हाऊस।
6. श्रीवास्तव, वी. के.(1992)-Tribes in Transition, Process of Social Change, रिर्सच पेपर, प्रेजेन्टेड इन दी नेशनल सेमिनार, नेशनल ईस्टीट्यूट आफ सोसल साईनसेस, शिमला।
7. Tribal Development: A New Strategy, Occasional Papers on Tribal Development No. 4, GoI, MoH, 1976 Self No. 11.